

दिल्ली उच्च न्यायलय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 11 अक्टूबर, 2013

रि.या.(सि.) 6550/2013

सूरजभान और अन्य

..... याचीगण

द्वारा: श्री अंकुर छिब्बर, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री हिमांशु बजाज, अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

न्या. गीता मित्तल. (मौखिक)

1. इन मामलों में याचिकाकर्ता दिनांक 28 मई, 2013 और 3 जुलाई, 2013 के संकेतकों को रद्द करने की मांग करते हैं जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों ने एसीपी योजना के तहत याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर लाभ देने से मना कर दिया है कि यदि उन्होंने 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद एसयूओसीसी

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है तो एसीपी योजना के तहत द्वितीय वितीय उन्नयन के पात्र वे कथित पदोन्नति पाठ्यक्रम को पूरा करने के आधार पर होंगे न कि 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने से। याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थियों से यह निर्देश देने की भी मांग की है कि वे 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर एसीपी योजना के तहत प्रदान की गई द्वितीय वितीय उन्नयन की सुविधा प्रदान करें।

2. रिट याचिकाओं के रि.या. (सि.) न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक तत्काल मामले में निर्विवाद तथ्यों पर यहां गौर किया गया है। एसीपी योजना के अनुसार, दूसरे वितीय उन्नयन के पात्रता के लिए, किसी कर्मचारी को पिछले 12 वर्षों में बिना पदोन्नति के किसी पद पर अपनी नियुक्ति की तिथि से 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करनी होगी और उसे पदोन्नति-पूर्व कैडर पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। ।

3. निसंदेह, सभी याचिकाकर्ताओं ने पिछले 12 वर्षों में बिना किसी पदोन्नति के अपनी 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली। हालांकि, प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर दूसरा वितीय उन्नयन प्रदान नहीं किया कि एसीपी योजना के तहत एक व्यक्ति को सामान्य पदोन्नति के लिए आवश्यक सभी मानदंड पूरा करना आवश्यक है और जब तक वे पूरे नहीं हो जाते, तब तक व्यक्ति को उक्त वितीय लाभ नहीं दिया जा सकता। मौजूदा मामलों में, प्रत्यर्थियों ने यह दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने 24 वर्ष की सेवा

पूरी करने के बावजूद पदोन्नति-पूर्व कैडर पाठ्यक्रम नहीं किया है और इस प्रकार, उन्हें दूसरा वित्तीय लाभ नहीं दिया जा सकता। यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त पदोन्नति-पूर्व कैडर पाठ्यक्रम उनके द्वारा शुरू नहीं की जा सकी इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी बल्कि प्रत्यर्थियों की खुद की गलती थी की उनके द्वारा याचिकाकर्ताओं को कथित पदोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी।

4. प्रत्यर्थियों के अवैध कृत्यों से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थियों के समक्ष विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। प्रत्यर्थियों ने व्यथित व्यक्तियों के उपरोक्त अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा उक्त मुद्दे का विश्लेषण करने के पश्चात, सी.आर.पी.एफ. के महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2012 को एक आदेश पारित किया, जो निम्नानुसार है:

“विषय: एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय लाभ प्रदान करना-स्पष्टीकरण।

कांस्टेबलों को एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने तथा उसके आधार पर वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए एक मामला गृह मंत्रालय को भेजा गया था। इस मुद्दे की जांच गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग (एमओएफ) द्वारा जांच की गई। उचित जांच के बाद मंत्रालयों ने स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

क) पदोन्नति पाठ्यक्रम (अर्थात् एससीसी) उत्तीर्ण करने वाले कांस्टेबल्स के मामले की समीक्षा की जा सकती है और उनके द्वारा अर्हता प्राप्त एससीसी की समाप्ति की अगली तिथि से प्रथम एसीपी लाभ की अनुमति दी गई है और उन्हें अब एसीपी और एमएसीपी योजनाओं के तहत निम्नानुसार वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जा सकता है:

क्र.सं. सीटीएस (कांस्टेबल) श्रेणियां	एसीपी/एमएसीपी योजनाओं के तहत वित्तीय उन्नयन लाभ प्रदान किये जाने की रूपरेखा
1) वे सीटीएस जिन्होंने दिए गये अधिकतम तीन अवसरों के भीतर पदोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो।	चूंकि इन कांस्टेबलों को 12 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, इसलिए उन्हें अन्य पात्रता शर्तों के अधीन 12 वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि से एसीपी योजना (अगस्त 1999) के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि पदोन्नति पाठ्यक्रम में देरी के लिए उनकी ओर से कोई गलती नहीं की गई है। ” एमएसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन उन केंद्रीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्वीकार्य होगा, जिन्होंने 20/30 वर्ष की निरंतर नियमित सेवाएं पूरी कर ली हों या एक ही ग्रेड देय पर लगातार 10 वर्ष बिता लिए हों, या

जो भी पहले हुआ हो।

5. गृह मंत्रालय के परामर्श से महानिदेशालय कार्यालय द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसरण में, प्रत्यर्थियों ने दिनांक 1.2.2013 को एक आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था। उक्त आदेश के अनुसरण में, प्रत्यर्थियों ने दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को एक आदेश भी जारी किया था, जिसमें द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं को वेतन का वास्तविक निर्धारण दर्शाया गया था।

6. महानिदेशालय कार्यालय के साथ-साथ गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने के बाद उपरोक्त आदेश जारी करने के बावजूद, प्रत्यर्थियों ने 28 मई, 2013 और 3 जुलाई, 2013 को विवादित सिग्नल जारी किए, जिसके द्वारा यह सूचित किया गया कि एक हेड कांस्टेबल/जीडी (जनरल डायरी) जो 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने से पहले एसयूओसीसी कोर्स उत्तीर्ण करता है, वह 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा। हालाँकि, अगर उसने 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने के

बाद एसयूओसीसी उत्तीर्ण किया है, तो वह अन्य शर्तों के अनुसार उक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम की तारीख से वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि 6 मार्च, 2012 के आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थियों ने 1 फरवरी, 2013 के अपने आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं को उक्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया था तथा 10 अप्रैल, 2013 के आदेश के अनुसार उनका वेतन भी निर्धारित किया था। उक्त लाभ प्रदान करने के पश्चात प्रत्यर्थी कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना या याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना उक्त लाभ वापस नहीं ले सकते।

8. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा जारी किए गए आक्षेपित संकेतक गृह मंत्रालय के परामर्श से महानिदेशालय कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 6 मार्च, 2012 के पत्र के सीधे विरोधाभासी हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया है कि चूंकि इन कांस्टेबलों (सीटीएस) को 12 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें पदोन्नति पाठ्यक्रम से संबंधित विवरण दिया गया था, इसलिए उन्हें अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन 12 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि से एसीपी योजना (अगस्त 1999) के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि पदोन्नति पाठ्यक्रम के बारे में विवरण देरी से मिलने में उनकी कोई गलती नहीं है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने

तर्क दिया था कि एक बार प्रत्यर्थियों ने प्रथम वितीय उन्नयन के अनुदान के लिए उक्त निर्णय ले लिया है, तो द्वितीय वितीय उन्नयन अनुदान के लिए कोई अलग मानदंड नहीं हो सकते हैं।

9. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थियों को स्वयं द्वारा किये गलत कार्यों के लाभ की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि 24 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति-पूर्व कैडर पाठ्यक्रम को पूरा न करने का कारण यह है कि प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ताओं को उक्त पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। ऐसा न करने पर, प्रत्यर्थियों को केवल इस आधार पर लाभ रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि याचिकाकर्ताओं ने पदोन्नति-पूर्व कैडर पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, जो उन्हें 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर मिलनी चाहिए थी अन्यथा वे जिसके हकदार थे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को कभी भी एसयूओसीसी पदोन्नति के लिए कैडर कोर्स करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, कि जिसमें वे अपनी अनिच्छा व्यक्त करते। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुर छिब्बर ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं ने पहले प्रयास में ही अक्टूबर 2005 से जनवरी 2006 के बीच की अवधि में एसयूओसीसी पदोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया था।

10. अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने रि.या (सि.) संख्या 6937/2010 **हरगोविंद सिंह बनाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल** में रिपोर्ट किए गए दिनांक 15 फरवरी, 2011 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय की घोषणाओं पर भरोसा किया है और दिनांक 6 सितंबर के आदेश के माध्यम से, रि.या. (सि.) संख्या 5539/2013 में 2013 **जयपाल सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** इन मामलों में याचिकाकर्ता भी एसीपी योजना के अंतर्गत 3 नवम्बर, 1999 से अपने दूसरे वित्तीय उन्नयन की बहाली और 1 सितम्बर, 2006 से तीसरे वित्तीय उन्नयन की अनुमति की मांग कर रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता को 3 नवंबर, 1999 को एसीपी योजना के तहत दूसरा उन्नयन दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना इसे वापस ले लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका में दावा किया गया था। प्रत्यर्थियों के रुख को **हरगोविंद सिंह (पूर्वोक्त)** के निर्णय के पैरा संख्या 5 और 6 में नोट किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से था:

"5. निर्विवाद स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता को ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत 3.11.1999 से द्वितीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना ही उसे वापस ले लिया गया; और इस प्रकार, रिट याचिका में दावा निरस्त कर दिया गया।

6. दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार, याचिकाकर्ता को दूसरा एसीपी उन्नयन लाभ 3.11.1999 को इस तथ्य की अज्ञानता में दिया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा अनिवार्य पदोन्नति

पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं किया गया था और जब इसका एहसास हुआ, तो याचिकाकर्ता को 15.11.2009 से शुरू होने वाले पदोन्नति पाठ्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने 29.10.2004 को पाठ्यक्रम में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की।

11. हमारे समक्ष ऐसा ही जैसा कि वर्तमान मामले में है पहले भी आया था याचिकाकर्ता **हरगोविंद सिंह** को भी उस तिथि को पीसीसी पाठ्यक्रम पूरा करने का अवसर नहीं मिला, जिस तिथि को वह आगे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र हुए थे, जिसे वापस ले लिया गया था। **हरगोविंद सिंह** (पूर्वोक्त) में इस पहलू पर न्यायालय ने हमारे सामने भी प्रत्यर्थी के तर्क पर फैसला सुनाया है, और पदोन्नति पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए व्यक्ति का विवरण देने के लिए विभाग की जिम्मेदारी पर टिप्पणी की है। इस संबंध में निर्णय के पैरा 8 से 14 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया जा रहा है, जो निम्नानुसार हैं:

"8. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता आग्रह करेंगे कि रि.या.(सि.) संख्या 8631/2009 भगवान सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य के निपटारे वाले दिनांक 30.9.2010 के निर्णय और आदेश के अनुसार वर्तमान मुद्दा पूरी तरह से याचिकाकर्ता के खिलाफ है।

9. भगवान सिंह के मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था और उसे एसीपी योजना के तहत दूसरे उन्नयन से इस तथ्य के कारण वंचित कर दिया गया था कि उसने जानबूझकर अनिवार्य पदोन्नति पाठ्यक्रमों से गुजरने से इनकार कर दिया था, जिससे वह

सहायक उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नत होने के योग्य बनता और, लिखित रूप में, दिया था कि उसने पदोन्नति का अधिकार छोड़ दिया।

10. खंड पीठ ने एसीपी योजना के पैराग्राफ 10 को नोट किया जो निम्नानुसार है:

"10. एसीपी योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान अनुदान इस शर्त पर होगा कि कर्मचारी उक्त लाभ स्वीकार करते समय, बाद में रिक्ति होने पर नियमित पदोन्नति के लिए अपनी बिना शर्त स्वीकृति दे चुका माना जाएगा। बाद में नियमित पदोन्नति में, वह इस संबंध में सामान्य निर्देशों में निर्धारित नियमित पदोन्नति के लिए सामान्य निषेध के अधीन होगा। तथापि, उसके बाद जब कभी वह नियमित पदोन्नति स्वीकार करता है, तो वह एसीपी योजना के अंतर्गत दूसरे उन्नयन के लिए तभी पात्र होगा जब वह उस उच्चतर ग्रेड में एसीपी योजना के अंतर्गत अपेक्षित पात्रता सेवा/अवधि पूरी कर लेगा बशर्ते कि वह अवधि जिसके लिए उसे नियमित पदोन्नति के लिए वंचित किया गया था, इस प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान करने के बाद एक वित्तीय उन्नयन प्राप्त होता है और उसके बाद 2 वर्ष के बाद यदि वह नियमित पदोन्नति से इंकार करता है और परिणामस्वरूप उसे एक वर्ष के लिए इससे वंचित कर दिया जाता है और बाद में उसे 15 वर्ष (12+12+1) की नियमित सेवा पूरी करने के बाद नियमित आधार पर उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है, तो वह 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद ही एसीपी योजना के अंतर्गत द्वितीय उन्नयन के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा। उस उच्च ग्रेड में पहले वित्तीय उन्नयन (2 + 10) के बाद उसके द्वारा पहले से ही प्रदान की गई दो साल की सेवा

के अलावा यानी नियमित सेवा के 25 साल (12 + 2 + 1 + 10) के बाद क्योंकि एक वर्ष की प्रतिबंध अवधि को उस उच्च ग्रेड में आवश्यक 12 साल की नियमित सेवा के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

11. वर्तमान मामले में, ऊपर उल्लिखित तथ्यों से पता चलता है कि प्रत्यर्थियों ने 15.11.2004 से प्रभावी होने वाले अनिवार्य पीसीसी पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता को विस्तार से बताने की पेशकश की। हम याचिकाकर्ता के उक्त पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होने के प्रभाव से निपटेंगे, लेकिन यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि एसीपी लाभ के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता नवंबर 1999 के महीने से प्रभावी हुई है और यह प्रत्यर्थियों का मामला नहीं है कि जब तक वे याचिकाकर्ता को 15.11.2004 से शुरू होने वाले पीसीसी पाठ्यक्रम को पास करने का मौका नहीं देते, याचिकाकर्ता को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए पहले कोई अवसर दिया गया था।

12. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विभाग को पदोन्नति केंद्र पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए व्यक्तियों का विवरण देना है और उक्त पाठ्यक्रमों में भाग लेना संबंधित अधिकारियों के विकल्प पर नहीं है।

13. यदि ऐसा है, तो प्रत्यर्थी अपने दायित्व का निर्वहन न करने का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जो पदधारी के पदोन्नति केंद्र कोर्स को पास करने के पूर्व का दायित्व है। विभाग का पूर्व दायित्व है संबंधित व्यक्ति को पदोन्नति केंद्र पाठ्यक्रम करने के बारे में विस्तृत जानकारी देना ।

14. जहां तक याचिकाकर्ता की 15.11.2004 से शुरू होने वाले पदोन्नति केंद्र पाठ्यक्रम करने की इच्छा का संबंध है, यह ध्यान दिया जा सकता

है कि "अनिच्छा" शब्द का उपयोग एक मिथ्या संज्ञा भर होगा। हुआ यह है कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति कैडर पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती जो कि 15.11.2004 से प्रभावी होनेवाला था इससे पहले ही उसकी पत्नी की अत्यधिक बीमार होने तथा चिकित्सा की स्थिति के आधार पर उसे अपने पैतृक गांव जाने की छुट्टी दी गई थी जिसकी मांग की थी।

12. हमारे सामने, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर वित्तीय उन्नयन के पात्र हो गए थे और 6 मार्च, 2012 के स्पष्टीकरण के अनुसरण में, उक्त लाभ वास्तव में याचिकाकर्ताओं को 1 फरवरी, 2013 और 10 अप्रैल, 2013 के आदेश के तहत प्रदान किया गया था। जहां तक एसयूओसीसी पाठ्यक्रम को पूरा करने का अवसर दिए जाने का संबंध है, उन्हें 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद उक्त पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है और उन सभी ने इसे पूरा भी किया है।

13. निस्संदेह **हरगोविंद सिंह** (पूर्वोक्त) में दर्ज कारणों के लिए, याचिकाकर्ता को इस अवधि के वित्तीय उन्नयन से वंचित नहीं किया जा सकता था। प्रत्यर्थियों द्वारा एसीपी योजना के क्रियान्वयन से यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जिस तिथि को अपनी सेवा का आवश्यक 12 वर्ष बिना किसी पदोन्नति के अवसर पाए पूरा करता है तो वह वित्तीय लाभ का हकदार है। प्रत्यर्थियों ने **हरगोविंद सिंह** (पूर्वोक्त) के साथ-साथ वर्तमान मामले में भी इस योजना पर

काम किया है। पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम को पूरा करना नियुक्ति/पदोन्नति पर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा करने के समान है। यह नियुक्ति की तिथि या उसकी पदोन्नति की तिथि को नहीं बदलता है।

14. **हरगोविंद सिंह** (पूर्वोक्त) में खंडपीठ की टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुरूप हैं। वर्तमान याचिकाकर्ताओं को अक्टूबर 2005 में ही एसयूओसीसी पाठ्यक्रम शुरू करने की विस्तृत जानकारी दिया गया था। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एसयूओसीसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया जो अक्टूबर 2005 से जनवरी 2006 के बीच आयोजित किया गया था। इस में पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं को आज तक के उनके उचित बकाये से वंचित नहीं किया जा सकता है।

15. प्रत्यर्थियों को कई वर्षों तक एसयूओसीसी पाठ्यक्रम करने के हकदार व्यक्ति को तब तक रोके रखते हैं जब तक कि कर्मचारी को उक्त पाठ्यक्रम का अवसर नहीं दिया जाता, भले ही वह ऐसा करने के लिए इच्छुक हो और वह सक्षम भी हो। उन्हें उक्त पाठ्यक्रम की अनुमति न देकर प्रत्यर्थियों को एसीपी योजना के तहत याचिकाकर्ता को दूसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

16. माना जाता है कि यह प्रत्यर्थियों की जिम्मेदारी है कि वे पदोन्नति पूर्व कैडर पाठ्यक्रम के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को विवरण दें। ऐसा नहीं करने के बाद, प्रत्यर्थियों को स्वयं के दोषों के लिए किसी व्यक्ति के अधिकारिक लाभों को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

17. उक्त मुद्दे पर इस न्यायालय के विभिन्न उद्घोषणों द्वारा भी निर्णय दिया गया है जो इस प्रकार हैं:-

- (i) आरएस राठौर बनाम भारत संघ और अन्य रि.या. (सि.) 1506/2012;
- (ii) तुलसी दास बनाम भारत संघ और अन्य रि.या. (सि.) 1881/2012 और
- (iii) जयपाल और अन्य बनाम भारत संघ रि.या.(सि.) संख्या 5539/1993 है।

18. पूर्वगामी मामलों को देखते हुए, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैं: -

- (i) दिनांक 28 मई, 2013 और 3 जुलाई, 2013 के संकेतों को रद्द करते हुए उत्प्रेषण रिट जारी की गई है।
- (ii) प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचीगण को उस तिथि से दूसरा वित्तीय उन्नयन प्रदान करें, जिस तिथि को उन्होंने 24 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली थी

- (iii) प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचीगण के वेतन और उन याचीगण की पेंशन तय करें जो आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर दूसरे वित्तीय उन्नयन के अनुदान के अनुसार सेवानिवृत्त हो गए हों। प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आदेश द्वारा याचीगण को सूचित किया जाएगा। इस आदेश के जारी होने के चार सप्ताह की अवधि के भीतर बकाया राशि जारी की जाएगी।

19. इस रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत स्वीकृति दी जाती है ।

न्या., गीता मित्तल

न्या., दीपा शर्मा

11 अक्टूबर, 2013

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।